न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— रमेशकुमार आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 96/2024

01. बनवारीसिंह पुत्र श्योलालसिंह दत्तकपुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत साकिन लाखउ, चुरू हाल चक 17 बीएलडी बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

......वादी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :—28.05.25**

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र/प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी को चक 17 बीएलडी बी मु0नं0 34/64 के किला नं0 2 ता 9, 11 ता 25 तादादी 23.00 बीघा यानी 5.6167 है0 क0/अ0क0 भूमि बतौर भूमिहीन आवंटन दिनांक 26.03.1976 को आवंटन हुआ और तब से उक्त भूमि पर लम्बे अरसे से वादी काबिज कास्त है तथा ढाणी व मकान बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रहा है मौके पर सरसों की खेती कर रखी है। वादी ने समस्त किस्ते खजानाराज में जमा करवाकर पुस्तक सं0 219 क्र0सं0 38 दिनांक 21.05.2005 को न्यायालय हाजा से खातेदारी सनद जारी करवाई जिसमें नाम तो शुद्ध रहे लेकिन पेनत्रुटि से किला नं0 25 छूट गया कुल रकबा तो 23.00 बीघा लिख दिया लेकिन किला नं0 25 खातेदारी में छूटने से रिकॉर्ड में उक्त रकबा आज भी गैरखातेदार दर्ज चल रहा है बाकि रकबा नामान्तरकरण सं0 7 से खातेदार दर्ज हो गया और कालान्तर में सहवन से रिकॉर्ड में भी बनवारीसिंह पुत्र श्योलालसिंह के स्थान पर बनवारीलाल पुत्र श्योदानसिंह जाति दरोगा दर्ज हो गया जो रिकॉर्ड मेन्टेन करते मानवीय भूल और पेनत्रुटिवश हुआ जिसे वादी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक जरिये घोषणात्मक दुरूस्ति अपने नाम बनवारीलाल पुत्र श्योदानसिंह की जगह बनवारीसिंह पुत्र श्योदानसिंह दत्तकपुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत तथा किला नं0 25 को खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। वादी का वरवक्त आवंटन नाम बनवारीसिंह पत्र श्योलालसिंह राजपूत गांव लाखाउ तहसील चुरू रहा और उसी मुताबिक मूल निवास, परिचयपत्र, राशनकार्ड, वोटरलिस्ट सब में नाम दर्ज रहा बाद में वादी अपने ताउ के गोद चला गया और गोदनामा दिनांक 01.03.1986 से वादी ने भी अपने समस्त दस्तावेज जैसे आधारकार्ड, परिचयपत्र, राशनकार्ड, वोटरलिस्ट, जनआधार, आदि में बनवारीसिंह पुत्र श्योलालसिंह दत्तकपुत्र बन्नेसिंह नाम करवा लिया और उसका प्रमाण सरपंच एवं मौजीज लोगो की ताईद है। वादी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक जरिये घोषणात्मक दुरूस्ति अपने नाम बनवारीलाल पुत्र श्योदानसिंह की जगह बनवारीसिंह पुत्र श्योलालसिंह दत्तकपुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत तथा किला नं0 25 को खातेदार दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी था। तहसीलदार खाजूवाला के यहां शुद्धि करने हेतु आवेदन किया तो उन्होने दिनांक 12.06.24 को कहा कि आप न्यायालय से आदेश लावें तो ही शुद्धि होगी। अतः वादी की खातेदारी चक 17 बीएलडी बी मु0नं0 34/64 के किला नं0 2 ता 9, 11 ता 25 तादादी 23.00 बीघा यानी 5.6167 है0 क0/अ0क0 भूमि के रिकॉर्ड में वादी का नाम बनवारीलाल पुत्र श्योदानसिंह दर्ज हुआ और समस्त रकम जमा होने पर भी किला नं0 25

गैर खातेदार दर्ज कर दिया की जगह जरिये घोषणात्मक दुरूस्ति राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादी का दस्तावेजी नाम बनवारीसिंह पुत्र श्योलालसिंह दत्तकपुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत साकिन लाखउ तहसील व जिला चुरू तथा किला नं0 25 खातेदार दर्ज करने के आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट पत्रांक/219 दिनांक 27.02.25 अनुसार चक 17 बीएलडी बी के मु0नं0 34/64 के किला नं0 2 ता 9, 11 ता 25 में कुल 5.5638 है0 क0/अ0क0 रकबा बनवारी पुत्र श्योदानसिंह जाति दरोगा सा0 लाखाउ तहसील व जिला चुरू खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मु0नं0 34/64 किला नं0 25 में 0.2529 है0 कमाण्ड बनवारीलाल पुत्र श्योदानसिंह जाति दरोगा सा0 लाखाउ तहसील व जिला चुरू पुख्ता आवंटी दर्ज है। प्रार्थनापत्र के समय संलग्न आवंटन आदेश की छायाप्रति अनुसार चक 17 बीएलडी मु0नं0 34/64 किला नं0 2 ता 9, 11 ता 25 कुल 23.00 बीघा रकबा बनवारीलाल पुत्र श्योदानसिंह जाति दरोगा निवासी लाखाउ तहसील व जिला चुरू के नाम दर्ज है। प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न सनद क्रमांक 219/88 दिनांक 21.05.2000 के अनुसार चक 17 बीएलडी के मु0नं0 34/64 किला नं0 2 ता 9, 11 ता 24 की खातेदारी बनवारीलाल पुत्र श्योदानसिंह जाति दरोगा निवासी लखाउ तहसील व जिला चुरू के नाम से जारी की गई है। इसी खातेदारी इन्तकाल सं0 7 दिनांक 14.01.2008 उक्त मुरब्बे में 22.00 बीघा खातेदारी बनवारीसिंह के नाम दर्ज हुई है। इस खातेदारी में मु0नं0 34/64 किला नं0 25 का अंकन छूट गया है जो कि वर्तमान जमाबन्दी में पुख्ता आवंटी दर्ज ह। प्रार्थी/वादी द्वारा वादपत्र को साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, गोदनामा, इंतकाल, खातेदारी सनद, आधारकार्ड, पहचानपत्र इत्यादि की छायाप्रति प्रस्तुत की है। पत्रावली पर सुना गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादी/प्रार्थी के वादपत्र/प्रार्थनापत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे आंशिक स्वीकार किया जाकर चक 17 बीएलडी बी मु0नं0 34/64 के किला नं0 2 ता 9, 11 ता 25 तादादी 23.00 बीघा यानी 5.6167 है0 क0/अ0क0 कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बनवारीलाल पुत्र श्योदानसिंह जाति दरोगा निवासी लखाउ तहसील व जिला चुरू की जगह की बनवारीसिंह पुत्र श्योलालसिंह दत्तकपुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत साकिन लाखउ तहसील व जिला चुरू खातेदार दुरूस्ती के आदेश किये जाते है साथ ही किला नं0 25 पुख्ता आवंटी की जगह खातेदार घोषणात्मक दुरूस्त करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार कोई राजस्व हानि हो तो वसूल कर नियमानुसार राजकोष में जमा करवावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.05.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेशकुमार),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)